

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1242]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ ज्येष्ठ 26, 1937

No. 1242]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

का.आ. 1597(अ).—केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती किरण पांडे, उप सहायक निदेशक, केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली को केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित ओषधियों के वर्गों की बाबत सम्पूर्ण भारत के लिए सरकारी विक्षेपक नियुक्त करती है, अर्थात् :-

1. सेरा
2. टीके के लिए आश्रित सिरियम प्रोटीनों का घोल
3. वैक्सीन (पैरेंटल और मुख से)
4. टॉक्सिन
5. एंटीजन
6. एंटी टॉक्सिन
7. निर्जीवाणुकृत सर्जिकल लिगेचर और निर्जीवाणुकृत सर्जिकल टांके
8. बैक्टीरियोफेज

[फा. सं. एक्स.11035/153/2014-डीएफक्यूसी]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2015.

S.O. 1597(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Smt. Kiran Pandey, Deputy Assistant Director, Central Drugs Laboratory, Central Research Institute, Kasauli at the Central Drugs Laboratory, Central Research Institute, Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh to be the Government Analyst, for the whole of India in respect of the following classes of drugs, namely:—

1. Sera
2. Solution of Serum Proteins intended for injection
3. Vaccines (Parenteral and Oral)
4. Toxins
5. Antigens
6. Anti Toxins
7. Sterilized surgical Ligature and Sterilized surgical sutures
8. Bacteriophages

[F. No. X.11035/153/2014-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.